वार्षिक रिपोर्ट
2008-2009

एन.आर.आर.डी.ए.

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

विषय – सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	भूमिका	1
2	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) के उद्देश्य	3
3	संगठनात्मक व्यवस्थाएं	5
4	प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना	8
5	प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया	15
6	मॉनीटरिंग	17
7	अनुसंधान और विकास	23
8	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	26
9	भारतीय सड़क कांग्रेस में सहभागिता	33
10	कार्यशालाएं	34
11	पी.एम.जी.एस.वाई. के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का निर्धारण	36
12	बजट	39
13	लेखा तथा लेखा परीक्षा	39

1.0 भूमिका

1.1 परिवहन के मुख्य कार्यों में गतिशीलता, संपर्कता तथा पहुँच शामिल है। सामान्यतया सड़क परिवहन तथा विशेष रूप से ग्रामीण परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवा उपलब्ध कराते हैं और इस प्रकार देश के कोने–कोने तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। महसूस किया गया है कि बारह मासी सड़कों का न होना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि पहुँच न होने से ग्रामीण जनता मुख्य धारा से कट जाती है, दूर हो जाती है जिससे वह रोजगार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी सेवाओं से वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा संपर्कता न होने के कारण ऐसे सामुदाय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान असुरक्षित होते हैं। भारत सरकार ने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी आएगी अतः सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 को भारत सरकार द्वारा समर्थित तथा पूर्णतय वित्त पोषित परियोजना **''प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना'' (पी एम जी एस वाई)** शुरू की थी जिसका मूल उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों तथा पहाड़ी राज्यों, मरूस्थलों तथा जनजाति क्षेत्रों की 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है। चुनी गई मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन भी इस कार्यक्रम में रखा गया है ताकि वह पूरी तरह बाज़ारों से जुड़ी रहें।

1.2 पी एम जी एस वाई को आरंभ करते समय लगभग 40% बसावटें बारहमासी सड़क संपर्कता से वंचित थीं। जिला ग्रामीण सड़क योजना (डी आर आर पी) की व्यवस्थित तैयारी की ध्यानपूर्वक जाँच करने तथा कोर नेटवर्क, जो कि सभी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्कता सुनिश्चित कराता है की पहचान करने के बाद 167 लाख बसावटों को नई संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें लगभग 3.66 लाख कि.मी. लम्बी सड़कें आती हैं। इसके साथ–साथ 3.73 कि.मी. लम्बी विद्यमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल निवेश (2003–04 की दरों में) लगभग 1.32 लाख रुपये आकलित किया गया है।

1.3 भारत सरकार ने ग्रामीण आधारिक संरचना को आवर्धित करने के विचार से एक समयबद्ध कार्य–योजना – ''भारत निर्माण'' की घोषणा की है। इसके छः घटकों में ग्रामीण संपर्कता भी एक है। भारत निर्माण के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाली (पहाड़ी तथा जनजाति व रेतीले क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाली) बसावटों को वर्ष 2009 तक बारहमासी संपर्कता प्रदान की जाए। आकलित किया गया है कि भारत निर्माण के अंतर्गत 66,804 बसावटों को 1.46 लाख कि.मी. सड़कों के साथ नई संपर्कता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त 1.94 लाख कि.मी. विद्यमान थ्रू रूटों का उन्नयन/नवीनकरण किया जाएगा। भारत निर्माण के अतंर्गत ग्रामीण संपर्कता पर 2005–09 के दौरान कुल निवेश 48000 करोड़ रूपये आकलित किया गया है।

1.4 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए) 14 जनवरी, 2002 को 1860 के सोसाइटी अधिनियम–XXI के अंतर्गत गठित की गई थी। इसका गठन कार्यक्रम को तकनीकी विशिष्टियों पर परामर्श देने, परियोजना का मूल्यांकन करने, गुणवत्ता मॉनीटर करने और मॉनीटर प्रणालियों के माध्यम से कार्यक्रम को सहायता देने के लिए किया गया था। एजेंसी को एक सुसम्बद्ध व्यावसायिक तथा बहु–अनुशासनिक निकाय के रूप में देखा गया है जो कि इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय तथा राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी और प्रबन्ध सहायता उपलब्ध कराए।

2.0 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए) के उद्देश्य:

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना मूलतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी :–

1. विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श करना तथा ग्रामीण सड़कों के उपयुक्त डिज़ाइन और विशिष्टताओं पर पहुँचना और तत्पश्चात पुलों और नालों सहित ग्रामीण सड़कों के डिज़ाइन और विशिष्टताएं निर्धारित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करना।

2. प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करना।

3. ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थानों को, उनको सौंपे जाने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त करना।

4. राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को जिला सड़क योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की समीक्षा करना या संवीक्षा करने की व्यवस्था करना।

6. मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तथा कार्यनिष्पादन एजेंसियों के जरिए राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सड़क कार्यों के निष्पादन पर स्वतंत्र मॉनीटरों के माध्यम से नजर रखना और निरीक्षण करना या कराना।

7. राज्य एजेंसियों द्वारा सड़क कार्यों का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के बारे में अनुभव रखने वाले सेवारत और सेवानिवृत इंजीनियरों, अकादमिकों, प्रशासकों और अन्य एजेंसियों को स्वतंत्र मॉनीटरों के रूप में नियुक्त करना।

8. सड़क कार्यों की प्रगति को, पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा, तकनीकी विशिष्टताओं, परियोजना मूल्यांकन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों के विशेष संदर्भ में, मॉनीटर करना।

9. आंकड़ों के अवलोकन और स्क्रीनिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु एक 'ऑन लाइन प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग व्यवस्था' स्थापित करना जिसमें इन्टरनेट और इन्टरनेट आधारित प्रणाली दोनों शामिल हों।

10. राज्यों अथवा संघराज्य क्षेत्रों द्वारा सड़क कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट भेजना।

11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनायी गयी ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर फल देने वाले और अन्य उपयुक्त पेड़ लगाने की योजना बनाने और पेड़ लगाने को मॉनीटर करना।

12. राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त व्यय संबंधी रिपोर्टों के जरिए तथा 'ऑन लाइन प्रबंधन एवं मानीटरिंग व्यवस्था' के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी धनराशि के संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले व्यय को मॉनीटर करना।

13. पायलट परियोजनाओं के निष्पादन सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित अनुसंधान कार्यकलाप करना।

14. ग्रामीण सड़कों के संबंध में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और मूल्यांकन तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों वाली पायलट परियोजनाओं पर अमल करना।

15. ग्रामीण सड़कों के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों, एजेंसियों अथवा निकायों के साथ सहयोग करना।

16. ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों तथा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

17. ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता तथा लागत–मानदण्डों में सुधार के उपायों पर सुझाव देना।

18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पुस्तकें, साहित्य प्रकाशित करना, प्रिंट, दृश्य अथवा दृश्य–श्रव्य प्रचार सामग्री तैयार करना या इसकी व्यवस्था करना।

19. ग्रामीण सड़कों के बारे में कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन और प्रायोजन करना।

20. ग्रामीण सड़को के निर्माण के लिए अपेक्षित उपकरण अथवा मशीनें खरीदना, लीज पर तथा किराए पर लेना।

21. कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसी तरह के अन्य संबंधित कार्यक्रमों, जिन पर अमल किया जा सके, की आयोजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने के लिए यथा–आवश्यक क्रियाकलाप करना।

3.0 संगठनात्मक व्यवस्थाएं

3.1 एन.आर.आर.डी.ए. के नियम एवं विनियमों के अनुसार साधारण सभा में 21 सदस्य होंगे। इनमें केन्द्रीय, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा कोई अन्य सरकारी प्राधिकारी, पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा पंजीकृत निकायों, ग्रामीण सड़कों से संबंधित किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों में अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा एजेंसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से संबंधित विशेष विशेषज्ञता, क्षमता अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होंगे।

माननीय ग्रामीण विकास मन्त्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह एन.आर.आर.डी.ए के पदेन अध्यक्ष हैं। डॉ. रीता शर्मा, सचिव, ग्रामीण विकास 02 जनवरी 2008 से एनआरआरडीए की पदेन उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की साधारण सभा का गठन निम्नानुसार किया गया है:

क्र सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
1.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	डॉ. रीता शर्मा	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	श्री अरविन्द मायाराम	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री जे. के. मोहापात्र	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (पदेन)
5.	श्री संजय कुमार राकेश	निदेशक, (आर.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री बी. एन. पुरी	सलाहकार (परिवहन), कमरा नं. 264, योजना भवन, योजना आयोग, नई दिल्ली–110001	सदस्य
7.	श्रीमती सिन्धुश्री खुल्लर	अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8.	श्री वी. के. सिन्हा	महानिदेशक (आर.डी) एवं विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री ए.एस. सहोटा	संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री रोहित नंदन	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास लखनऊ (उ.प्र.)	सदस्य
11.	श्री सी. एस. राजन	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग जयपुर, (राजस्थान)	सदस्य
12.	श्री आई. एस. दानी	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल–462004 मध्य प्रदेश	सदस्य
13.	श्री एम.सी. बोरो	सचिव–सह–आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी– 781006	सदस्य
14.	श्रीमती चित्रा रामचन्द्रन	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य
15.	श्री अजय कुमार	प्रमुख सचिव, ग्रामीण इंजीनियरी संगठन, बिहार सरकार, पटना (बिहार)	सदस्य
16.	श्री पी.के. नन्दा	कार्यवाहक निदेशक, सी.आर.आर.आई, दिल्ली–मथुरा रोड, नई दिल्ली–110020	सदस्य
17.	श्री एच. एल मीणा	अध्यक्ष, आई.आर.सी, सैक्टर–6 निकट आर.बी.आई कालोनी, कामकोटी मार्ग आर.के.पुरम. नई दिल्ली	सदस्य
18.	डॉ. बी.के. गैरोला	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, तृतीय तल, एन.आई.सी मुख्यालय, ए–ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	सदस्य

क्र सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
19.	श्री एस.सी.शर्मा	सेवानिवृत्त महानिदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 175 विज्ञापन लोक, मयूर विहार, फेज–1, दिल्ली–110091	सदस्य
20.	श्री सी. के. सिंह	सेवानिवृत प्रमुख इंजीनियर मकान नं. एम–10 (डी.एस) हेरमू हाऊसिंग कॉलोनी, रांची–834002 (झारखण्ड)	सदस्य
21.	प्रो. पी. के. सिकदर	सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवाई, मुम्बई–400076	सदस्य

साधारण सभा की दसवीं बैठक 3 नवम्बर 2008 को हुई। बैठकों की अध्यक्षता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह माननीय मन्त्री जी ने की। बैठक के दौरान एन.आर.आर.डी.ए के कार्यकलापों के पुनरीक्षण के अलावा वर्ष 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया, वर्ष 2007–08 के परीक्षित लेखों को अपनाया गया तथा वर्ष 2008–09 के परिशोधित पराक्कलन को पास किया गया।

3.2 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए) के नियम तथा अधिनियमों में कहा गया है कि एजेंसी की एक कार्यकारी परिषद होगी। कार्यकारी परिषद में महानिदेशक, एन.आर.आर.डी.ए, जो पदेन अध्यक्ष हैं, के अलावा अध्यक्ष, एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा अधिक से अधिक सात सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इनमें से एक वित्त सदस्य तथा चार प्रधान तकनीकी एजेंसियों से होते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष द्वारा एजेंसी के दो पदधारियों को नामित किया जा सकता है। परिषद को एजेंसी के सभी कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। बशर्ते की इस विषय में भारत सरकार तथा साधारण सभा द्वारा समय समय पर निदेश न जारी किए जाएं। एजेंसी की कार्यकारी परिषद निम्नानुसार है:

क्र सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
1.	श्री जे. के. मोहापात्र	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (पदेन)
2.	डॉ. प्रवीन कुमार	प्रो., परिवहन इंजीनियरी अनुभाग, सिविल इंजीनियरी. विभाग, आई आई टी, रूड़की–247667	सदस्य
3.	डॉ. एस. एल. ढींगरा	प्रो. परिवहन इंजीनियरी. अनुभाग, सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवई, 400076 मुम्बई, महाराष्ट्र	सदस्य
4.	डॉ. अशोक कुमार सरकार	डीन फेक्ल्टी डिव–I सिविल इंजीनियरी विभाग, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	सदस्य
5.	प्रो. के. सुधाकर रेड्डी	प्रो. सिविल इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर–721302, पश्चिम बंगाल	सदस्य
6.	श्री वी. जे. मेनन	निदेशक, (वित्त), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्रीमती गार्गी कौल	निदेशक, (वित्त एवं प्रशासन) एन.आर.आर.डी.ए, नई दिल्ली	सदस्य
8.	डॉ. बी. पी. चन्द्रशेखर	निदेशक (तकनीकी), एनआरआरडीए, नई दिल्ली	सदस्य

3.3 साधारण सभा द्वारा यथा–अनुमोदित संगठनात्मक ढांचे में 5 प्रभाग हैं। वर्तमान संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट – I पर दिया गया है। वर्ष 2008–09 के दौरान स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार थी:

1. श्री जे.के. मोहापात्र, संयुक्त सचिव (आर.सी) एवं महानिदेशक (एन.आर.आर.डी.ए) (पदेन)
2. श्रीमती गार्गी कौल, निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)
3. डॉ. बी. पी. चन्द्रशेखर, निदेशक (तकनीकी)
4. श्री एच. के. श्रीवास्तव, निदेशक (परियोजना–1)
5. श्री ए. डी कपाले, निदेशक (परियोजना–2)
6. श्री प्रभाकांत कटारे, मुख्य गुणवत्ता समन्वयक एवं निदेशक (परियोजना–3)
7. श्री आई. के. पटेरिया, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
8. श्रीमती माधवी वेदुला, सहायक निदेशक तकनीकी प्रभाग
9. श्री सी. पी. एस. यादव, सहायक निदेशक (परियोजना–1)
10. श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक (परियोजना–3)
11. श्री राजूमोन के. वी., ड्राफ्टसमैन, (पी–3)
    रूटीन के कार्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से बाहर से कराए जाते हैं।

4.0 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

4.1 योजना

4.1.1 जिला ग्रामीण सड़क योजना एवं कोर नेटवर्क – कोर नेटवर्क ग्रामीण सड़क का वह नेटवर्क है जो सभी बसावटों तक मूलभूत पहुँच उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। मूलभूत पहुँच बसावट तक एक बारहमासी सड़क संपर्कता के रूप में परिभाषित है। कोर नेटवर्क में मौजूदा सड़कें तथा संपर्कविहीन पात्र बसावटों तक निर्माण की जाने वाली सड़कें शामिल है।

कोर नेटवर्क में मौजूदा सड़कें तथा संपर्कविहीन पात्र बसावटों तक निर्माण की जाने वाली सड़कें शामिल है।

4.1.2 सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वह जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करें तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत भविष्य की योजनाओं के लिए कोर नेटवर्क की पहचान करें। राज्यों को परामर्श दिया गया था कि आवश्यक सुधार, यदि कोई हों करने के बाद डी.आर.आर.पी तथा कोर नेटवर्क डाटा को अंतिम रूप दें तथा डाटे का कीलन (फ्रीज) करें। डाटा कीलन करने के बाद सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था वे ग्रामीण विकास मन्त्रालय/एन.आर.आर.डी.ए को आगे प्रयोग के लिए अंतिम कोर नेटवर्क डाटा हार्ड तथा सॉफ्ट कापियों में भेजें। सभी राज्यों से अंतिम कोर नेटवर्क डाटा प्राप्त हो चुका है तथापि कुछ राज्यों ने सीधी (थ्रू) इन्वेन्टरी और मैदानी सत्यापन के बाद संरचना में आशोधन अथवा बसावटों की संपर्कता स्थिति में परिवर्तन के लिए कोर नेटवर्क का पुनर्वलोकन करने की आवश्यकता व्यक्त की। आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ने इस कार्य को पहले से पूरा कर लिया है तथा संशोधित कोर नेटवर्क प्रस्तुत कर दिया है। बिहार ने इसे पहले से व्यवहार में लाना शुरू कर दिया है तथा शीघ्र ही इसका पूरा होना अपेक्षित है। बेशक केरल ने इसकी अनुमति प्राप्त कर ली है किन्तु अभी राज्य से आगे की प्रगति के विषय में सूचना अपेक्षित है।

4.2 तकनीकी सहायता

4.2.1 प्रमुख तकनीकी एजेंसियां: एन.आर.आर.डी.ए. के अध्यक्ष के अनुमोदन से 7 प्रमुख तकनीकी

एजेंसियों (पी.टी.ए) मुख्यतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी)/अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों को, तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने, विभिन्न प्रौद्योगिकी कार्यों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने और ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता एवं लागत मानदण्डों में सुधार के उपायों के बारे में सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया (पी.टी.ए की सूची **परिशिष्ट – II** पर है।)

4.2.2 राज्य तकनीकी एजेंसियां:–एस.टी.ए, राज्य सरकार द्वारा तैयार परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी तथा राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। एस.टी.ए द्वारा की गई संवीक्षा से परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्रता से होगी एवं पी.एम.जी.एस.वाई के कार्यान्वयन में एक निश्चित स्तर का तकनीकी अनुशासन और सख्ती स्थापित होगी साथ ही यह राज्य प्राधिकारियों के लिए प्रशासनिक रूप से भी उपयुक्त है। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार राज्य तकनीकी एजेंसियों की सूची परिशिष्ट– III पर है।

4.2.3 कार्यों की प्राप्ति

कार्यक्रम के दिशानिर्देश इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए प्रतियोगी बोली के माध्यम से संविदाएं आमन्त्रित करने की एक सुस्थापित कार्यविधि उपलब्ध कराते हैं। एक मानक बोली दस्तावेज (एस बी डी) विकसित किया गया था तथा मार्च 2003 में कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया था। सभी राज्यों द्वारा नमूना मानक संविदा दस्तावेज अपना लिया गया था तथा कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले कार्यों को इसी दस्तावेज के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। इस मानक बोली दस्तावेज

को, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय के दस्तावेजों के अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हैं, के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के दस्तावेजों को प्रयोग में ला कर विकसित किया गया था। एक नमूना मानक बोली दस्तावेज सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया था तथा इसी दस्तावेज के आधार पर कार्यक्रम के अतंर्गत कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है। हाल ही में दस्तावेज में संशोधन सं 6, 7 और 8 को लागू किया गया है जो निम्नलिखित बातें उपलब्ध कराते हैंः–

- 5 करोड़ से अधिक की पैकेज के लिए दैनिक रखरखाव कार्य हेतु उप–संविदा का प्रावधान रखना।
- वामपंथी उग्रवादियों द्वारा प्रभावित (एलडब्ल्यूईए) जिलों में किसी भी साइज की पैकेजिस के लिए टर्नओवर की मांग को घटाकर बोली के लिए निर्धारित राशि का 50% तक करना और इसी प्रकार इस किस्म के कार्यों के लिए अनुभव को कम करके एक चौथाई कर देना।
- सक्षम प्राधिकारी को पहली बार दावे प्रस्तुत करने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तथा सक्षम फोरम के समक्ष अपील करने हेतु 90 दिन की अवधि रखी गई है।

4.2.4 पीएमजीएसवाई के अतंर्गत इलैक्ट्रॉनिक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट)

पी एम जी एस वाई के मार्गनिर्देशों के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एजेंसियों के चयन हेतु प्रतियोगिता के माध्यम से निविदाओं की एक सुस्थापित प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में पीएमजीएसवाई कार्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग के अनुभव से पता चला है कि इस प्रणाली को अपनाने से कार्यनिर्धारण की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत के साथ–साथ प्रतियोगिता की भावना में बढ़ोतरी होती है, पारदर्शिता बढ़ती है तथा बोली प्रक्रिया प्रबन्धन की लागत में कमी आती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग में तुलनात्मक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने निर्णय किया है कि 1 अप्रैल 2009 से सभी पीएमजीएसवाई कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग के माध्यम से पाप्त किया जाए।

इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग में तुलनात्मक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने निर्णय किया है कि 1 अप्रैल 2009 से सभी पीएमजीएसवाई कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग के माध्यम से पाप्त किया जाए।

आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रापण को

इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग के माध्यम से शुरू कर दिया है। असम, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रापण को पूर्णतया सांस्थानिक बनाने के अग्रिम चरणों में है।

4.3 परियोजना संवीक्षा तथा स्वीकृति

राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद परियोजना प्रस्ताव एन.आर.आर.डी.ए को प्रस्तुत किए जाते है जहाँ परीक्षण व जाँच की जाती है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा की जाती है कि प्रस्ताव को कार्यक्रम के मार्ग निर्देशों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। इसके बाद इन्हें अधिकार संपन्न समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। 37,762.95 करोड़ रूपये के प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें अधिकार संपन्न समिति द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान स्वीकृत किया गया। राज्य वार ब्यौरे **परिशिष्ट– IV** पर दिए गए हैं।

37,762.95 करोड़ रूपये के प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें अधिकार संपन्न समिति द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान स्वीकृत किया गया। राज्य वार ब्यौरे परिशिष्ट– IV पर दिए गए हैं।

4.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के रख–रखाव की लेखा परीक्षा

सड़क निर्माण के ठेके के साथ–साथ वर्ष 2003 से निर्माण के बाद 5 वर्ष तक रखरखाव के ठेके का प्रावधान भी किया गया है। तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रखरखाव गतिविधियों की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया, इस व्यवस्था को क्रियाशील बनाने तथा रखरखाव पर ध्यान केन्द्रित करने के विचार

से आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में सामान्यता कोर नेटवर्क सड़कों तथा विशेषकर पीएमजीएसवाई के अधीन बनी सड़कों के रख–रखाव कार्यों की लेखा परीक्षा की गई थी। निम्नलिखित बातों में सामान्य कमियां पाई गई :

1. रखरखाव के लिए आवश्यक वार्षिक निधि निर्धारण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता।

2. कोर नेटवर्क सड़कों अथवा उन सड़कों, जहां 5 वर्ष का आरंभिक रखरखाव पूर्ण हो चुका है के रखरखाव को आवश्यक अग्रता नहीं दी जा रही है।

3. रखरखाव गतिविधियों की पीआईयू स्तर तथा राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग अथवा निधि की आवश्यकता, उपलब्धता तथा इसका उपयोग दर्शाने को मजबूत करना।

4. कुछ मामलों में निधियों की अनुपलब्धता के कारण पीआईयू संविदा में रखरखाव के प्रावधान को लागू करने की स्थिति में नहीं थे।

5. कुछ रख–रखाव की गतिविधियां रख–रखाव लेखा परीक्षा, जिसने एक जागरूकता पैदा करने वाले अभियान के रूप में कार्य किया है, कि अवधि के दौरान शुरू हुई।

रिपोर्ट की सॉफ्ट कापी भी संबंधित राज्यों को भेजी गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि रख–रखाव की गतिविधि को मॉनीटर करने के लिए सांस्थानिक प्रबंध सन्निविष्ट किए जाने चाहिएँ। रख–रखाव के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों तथा उनके खर्च पर एक तिमाही रिपोर्ट भी निर्धारित की गई है। आशा की गई है कि लेखा परीक्षा के निष्कर्ष प्रणाली में कमियां दूर करने में सहायक होंगे।

5. प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाः

पी.एम.जी.एस.वाई सड़क कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष बल देती है। क्योंकि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है अतः राज्य सरकारें कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं तथा सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उनका मुख्य उत्तरदायित्व है। गुणवत्ता के आवश्यक मानक सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रणाली पर विचार किया गया है। यह क्रियाविधी क्षेत्रीय स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया पर आधारित है तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तरों पर स्वतन्त्र गुणवत्ता मानीटरिंग द्वारा इसका अनुकरण किया जाता है।

इस प्रक्रिया का **प्रथम स्तर** आंतरिक गुणवत्ता नियन्त्रण है जिसे कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट (पी.आई.यू) के अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा स्थापित क्षेत्र प्रयोगशाला के माध्यम से सामग्री तथा कौशल की गुणवत्ता की अनिवार्य जाँचें सुनिश्चित कराके किया जाता है। गुणवत्ता की जांच व वांछित गुणवत्ता के लिए मशीनरी तथा उपस्कर लगाने, मानक प्राप्त करने व ठेकेदार द्वारा तकनीकी व्यक्तियों को तैनात करने को दृष्टिगत रखते हुए अनुबंध के प्रावधानों के माध्यम से गुणवत्ता मानक लागू करने के लिए मानक बोली दस्तावेजों में आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं।

ग्रामीण सड़कों के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन पुस्तिका विकसित की गई है तथा सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकाशन में गुणवत्ता नियन्त्रण की आवश्कताओं, प्रबन्धन प्रणाली, उपस्कर तथा जाँच प्रक्रियाओं पर संकलित की गई सूचना उपलब्ध कराई गई है। परीक्षण के बाद अब गुणवत्ता नियंत्रण जांचों की व्यवहार्य आवृत्तियां निर्धारित की गई हैं। स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा जांच निर्धारित करने के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर कार्य को पास करने की संकल्पना आरम्भ की गई है।

गुणवत्ता प्रक्रिया के **द्वितीय स्तर** पर निष्पादन तंत्र से स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों के माध्यम से गुणवत्ता मॉनीटरन को रखा गया है। इस स्तर पर राज्य सरकार को राज्य स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यों की गुणवत्ता मानीटर करनी होगी कि प्रथम स्तर अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है तथा प्रत्येक कार्य का निर्माण के तीन स्तरों, अर्थात् प्रारंभिक चरण, मध्य चरण तथा अंतिम चरण पर निरीक्षण किया जा रहा है।

तृतीय स्तर भी गुणवत्ता की स्वतंत्र मॉनीटरिंग है। इस स्तर पर गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एनआरआरडीए द्वारा नियुक्त स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा की जाती है। इस स्तर पर गुणवत्ता मॉनीटरिंग को क्षेत्र पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देने की अपेक्षा कमियां खोजने पर केन्द्रित किया जाता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर वरिष्ठ अभियन्ता होते हैं जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के संगठनों से सेवा निवृत होते हैं। इन्हें एनआरआरडीए द्वारा निर्धारित मान दण्डों के आधार पर सूची में रखा जाता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को कार्य का अचानक निरीक्षण करना चाहिए तथा कार्यों की गुणवत्ता में कमियों की पहचान निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर करनी चाहिए। गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों की प्रभावी तथा एक समान रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईटीएचई) के सहयोग से एनक्यूएम के लिए अभिविन्यास (ओरिएन्टेशन) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एक स्वतन्त्र चयन समिति, जिसमें आईआरसी के महासचिव, निदेशक सी आर आर आई, आई आर सी द्वारा नामित एक विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा एसटीए/पीटीए के दो सदस्य होते हैं द्वारा नये अभ्यर्थियों के सीवी तथा वर्तमान एनक्यूएम के कार्यनिष्पादन पर विचार किया जाता है। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर एन आर आर डी ए, एनक्यूएम की नाम सूची को अनुमोदित करता है। वर्तमान एनक्यूएम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी स्वतन्त्र कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति, जिसमें एसटीए/पीटीए के अधिकारी होते हैं द्वारा किया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान 29 नये एनक्यूएम को सूची में रखा गया है तथा 12 को उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के आधार पर हटाया गया है। इस समय निरीक्षण कार्य करने के लिए 91 एनक्यूएम नाम सूची में शामिल हैं।

वर्तमान एनक्यूएम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी स्वतन्त्र कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति, जिसमें एसटीए/पीटीए के अधिकारी होते हैं द्वारा किया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान 29 नये एनक्यूएम को सूची में रखा गया है तथा 12 को उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के आधार पर हटाया गया है।

जनवरी 2007 से मार्च 2009 तक विभिन्न राज्यों में निरीक्षित किए गए कार्यों के गुणवत्ता संबंधी वर्गीकरण की विवरणी परिशिष्ट– V पर दी गई है।

6. मॉनीटरिंग

6.1 ऑन लाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग और लेखा प्रणाली

ऑन लाइन प्रबंधन और मॉनीटरिंग प्रणाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) का एक महत्वपूर्ण घटक है। समस्त कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से मॉनीटर करने और अत्यधिक दक्षता लाने, जबाबदेही तय करने और कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ–एडवांस कंप्यूटिंग (सी–डैक) द्वारा इस वेब को समर्थ बनाने वाला एक उपयोगी सॉफ्टवेयर पी एम जी एस वाई वेबसाइट www.pmgsyonline.nic.in के जरिए उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय और एन आर आर डी ए के अनुरोध पर सी–डैक ने मौजूद मॉड्यूल्स में बढ़ोतरी की और भारत निर्माण के लिए भौतिक और वित्तीय निष्पादन मॉनीटरिंग की रिपोर्टों में जोड़ा तथा लेखाकरण मॉड्यूलों का स्थिरीकरण किया और परिवर्तित भी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई थी कि डाटा की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा को कायम रखा गया है। जब भी आवश्यक हुआ सी.डी.ए.सी के माध्यम से प्रशिक्षण चलाए गए और मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान की गई।

6.2 समीक्षा बैठकें

राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए विभिन्न राज्यों में वर्ष 2008–2009 के दौरान समीक्षा बैठकें की गई थी। भारत निर्माण की निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था कि नियमित समीक्षाओं के माध्यम से इस घटक की गहन मॉनीटरिंग की जाए। इस संबंध में निर्धारित राज्यों, जैसे असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में समीक्षा बैठकें की गई थीं। पीआईयू तथा राज्यों के अधिकारियों के साथ एनआरआरडीए के निदेशकों ने बैठकें की थीं तथा इन राज्यों में भारत निर्माण के घटकों की प्रगति व कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई थी। पश्चिम बंगाल के संबंध में समीक्षा बैठकें 22 अगस्त, 2008, 12 दिसंबर, 2008 तथा 20 जनवरी, 2009 को छत्तीसगढ़ के संबंध में 8 सितम्बर, 2008, को असम के संबंध में 21 अगस्त 2008, 24 नवम्बर 2008, 12 दिसंबर, 2008 तथा 17 फरवरी 2009, को तथा उड़ीसा के संबंध में 7 अगस्त, 2008 तथा 16 अक्तूबर, 2008 को और मध्य प्रदेश के संबंध में 22 अगस्त, 2008 को हुई थीं।

वर्ष के दौरान इस संबंध में निर्धारित राज्यों जैसे असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में समीक्षा बैठकें की गई थीं।

6.3 पारदर्शिता और नागरिक मॉनीटरिंग

6.3.1 राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह प्रत्येक पी.एम.जी.एस.वाई सड़क पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड लगाएं ताकि नागरिकों को सूचना मिल सके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। प्रस्तावित कार्यों के वास्तविक ब्यौरे साइट पर उपलब्ध कराने के लिए नागरिक सूचना बोर्ड तैयार किए गए हैं। पेवमेन्ट की प्रत्येक परत की चौड़ाई के ब्यौरों के साथ–साथ प्रत्येक परत में प्रयोग में लाई गई सामग्रियों की मात्रा को बोर्डों पर दर्शाया जाता है।

कार्यक्रम में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह पी एम जी एस वाई सड़कों का मिलकर दौरा करने के लिए जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करने की प्रणाली को अपनाएं। सांझे निरीक्षणों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

कार्यक्रम में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह पी एम जी एस वाई सड़कों का मिलकर दौरा करने के लिए जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करने की प्रणाली को अपनाएं।

- संबंधित जोन/क्षेत्र का अधीक्षक अभियन्ता उस जोन/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय संसद सदस्य और जिलाप्रमुख से 6 महीने की अवधि में एक बार संबंधित क्षेत्रों में किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना का चयन करके उसके संयुक्त निरीक्षण/दौरे का आयोजन करने के लिए अनुरोध करेगा।

- क्षेत्र का प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता माननीय विधायक और संबंधित मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से तीन महीने में एक बार संबंधित क्षेत्र की किसी भी पी एम जी एस वाई परियोजना का चयन करके उसके संयुक्त निरीक्षण/दौरे का आयोजन करने के लिए अनुरोध करेगा।

- इसी प्रकार उप खण्ड का प्रभारी सहायक अभियन्ता ग्राम पंचायत के संबंधित सरपंच से दो महीने में एक बार संबंधित क्षेत्र की किसी भी पी एम जी एस वाई परियोजना का चयन करके उसके संयुक्त निरीक्षण/दौरे का आयोजन करने के लिए अनुरोध करेगा।

6.3.2 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। जन कार्य केन्द्र (पब्लिक एफेर्यस सेंटर), बंगलोर को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नागरिक मॉनीटरिंग के लिए पायलट परियोजना सौंपी गई थी। इस केन्द्र के पास बंगलोर में सड़क कार्य की गुणवत्ता की नागरिक मॉनीटरिंग करने की पृष्ठभूमि थी। इस पायलट परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे।

(क) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों की नागरिक मॉनीटरिंग की संकल्पना एवं पर्यवेक्षण।

(ख) मॉनीटरिंग गुणवत्ता तथा जाँच उपस्कर किट की तैयारी तथा जाँच।
कर्नाटक तथा तमिलनाडु में एक–एक जिले का चयन किया गया था। इस चरण में टूल किट तैयार की गई थी। किन्तु नागरिक मॉनीटरिंग संकल्पना का युक्तियुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ग्रामीण नगारिक स्वयंसेवकों के माध्यम से गुणवत्ता मॉनीटरिंग सफलतापूर्वक नहीं की जा सकी। मॉनीटरिंग एजेंसी का कार्यान्वयन एजेंसी के साथ कोई संपर्क न होने सहित इसके कई कारण थे। जैसे कोई पक्के क्षेत्रीय प्रचालन न होना। ग्रामीण नागरिकों को गुणवत्ता को मानीटर करने तथा तटस्थ ढंग से जाँच करने के लिए सम्मत न किया जा सकना, तथा मानीटरिंग गतिविधि के दौरान स्थानीय झगड़े तथा विरोध।

इसके परिणामस्वरूप स्वयंसेवकों के लिए तीन और विकल्प आजमाए गए। ग्रामीण नागरिकों के अलावा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी चुना गया। किन्तु तब भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। महसूस किया गया कि एक नेटवर्क तथा संगठनों का ऐसी गतिविधि को चलाने के लिए पता लगाने की आवश्यकता थी।

चरण एक की उपलब्धियों के आधार पर पायलट परियोजना का दूसरा चरण अप्रैल 2008 में शुरू किया गया था जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे :

(क) पीएमजीएसवाई सड़कों की नागरिक मॉनीटरिंग के लिए क्षेत्र जांच प्रणाली विकसित करना।

(ख) पीएमजीएसवाई की सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रयोजन की छानबीन करना तथा सिविल सोसाइटियों को साथ लेकर सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रणाली का सुझाव देना।

आईआर आरएएसटीए सड़क प्रौद्योगिकी केन्द्र, बंगलोर द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी सहायता से जून 2008 में द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया था। उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्यों में चार जिलों में 18 कार्यों को चुना गया तथा पायलट की जांच की गई थी। पायलट के लिए अपनाई गई प्रणाली इस प्रकार थी :

(क) संबंधित जिलों में लेखा परीक्षा तथा मॉनीटरिंग में सहायता के लिए सिविल सोसाइटी संगठन की पहचान करना।

(ख) लेखा परीक्षा के साधन व उपकरण विकसित करना।

(ग) हो रहे कार्यों की नागरिक मॉनीटरिंग तथा पूर्ण किए गए कार्यों की नागरिक मॉनीटरिंग एवं लेखा परीक्षा दल (सीएमएटी) द्वारा लेखा परीक्षा।

(घ) लाभार्थियों द्वारा की गई प्रतिपुष्टि का सर्वेक्षण।

इस पायलट की उपलब्धियाँ :

(क) पायलट नें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों की नागरिक मॉनीटरिंग तथा लेखा परीक्षा के औचित्य को काफी प्रमाणित किया।

(ख) गुणवत्ता जांच उपस्कर किट प्रयोक्ताओं के अनुकूल तथा प्रभावी साबित हुई।

(ग) मध्यस्थ सिविल सोसाइटी संगठनों की पहचान तथा राज्य व जिले में उनकी उपस्थिति ग्रामीण नागरिकों की सहभागिता को प्रवृत करने के लिए विशिष्ट थी।

इस पायलट से बनी पीएमजीएसवाई सड़कों के संबंध में की गई प्रति पुष्टि में मुख्यतः निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(क) 76% प्रतिवादियों ने चाहा कि सड़कों के रखरखाव को मॉनीटर करने में सामुदाय को अवश्य शामिल होना चाहिए। वहीं 60% ने नागरिक मॉनीटरिंग में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। बन रही सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में 86% लोगों ने जबकि पूर्ण हो चुकी सड़कों के लिए 88% ने संतोष व्यक्त किया।

(ख) 46% प्रतिवादियों ने पाया कि पीएमजीएसवाई सूचना बोर्ड पीएमजीएसवाई सड़कों के विषय में जागरूकता के स्त्रोत हैं। ग्राम सभा में पीएमजीएसवाई के विषय में हुई परिचर्चा में लगभग 19% लोगों ने भाग लिया।

जनता की प्रतिपुष्टि दर्शाती है कि बन रही सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में 86% लोगों ने जबकि पूर्ण हो चुकी सड़कों के लिए 88% ने संतोष व्यक्त किया।

(ग) पीएमजीएसवाई सड़कों तथा घरों के मध्य 0.95 किमी औसत दूरी पाई गई। जहां कार्य चल रहा था वहां 92% परिवारों तथा 94% गावों को लाभ नजर आया जबकि पूर्ण हो चुकी सड़कों के विषय में 95% परिवारों तथा 94.5% गांवों ने वास्तव में लाभान्वित महसूस किया।

(घ) सड़क का सामान्यतः प्रयोग करने वालों की संख्या 98% थी जबकि दैनिक प्रयोग करने वाले 84% थे। कृषि उत्पादों की ढुलाई के संबंध में 80% लोग लाभान्वित हुए जबकि कुल 91% लोगों ने लाभान्वित महसूस किया।

(च) स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तक अच्छी पहुँच के विषय में 81% लोगों ने लाभान्वित होने की बात कही तथापि 72.5% ने लाभान्वित महसूस होने की बात कही। स्कूलों तक अच्छी पहुँच के विषय में 81% लोगों ने लाभान्वित होने की बात कही तथा 72.5% ने लाभान्वित महसूस होने की बात कही। स्कूलों तक अच्छी पहुँच के विषय में 75.5% लोगों ने लाभान्वित होने की बात कही।

7. अनुसंधान और विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों की शुरूआत की है :

- जूट भू वस्त्र का प्रयोग।
- ग्रामीण सड़क पेवमेंट निष्पादन अध्ययन।
- पूर्ण पीएमजीएसवाई सड़कों पर यातायात घनत्व का अध्ययन।
- सीमेंट कंकरीट पेवमेंट।

- **ग्रामीण सड़कों में जूट भू वस्त्र का प्रयोग:** कमजोर मिट्टी में सड़क निर्माण की लागत अधिक आती है इसलिए मिट्टी की मजबूती क्षमता बढ़ाने के लिए जूट प्रयोग के लाभों पर अनुसंधान और विकास निष्कर्षों की आगे जाँच की जा रही है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जूट भू वस्त्र के प्रयोग के क्षेत्रीय स्तर पर

क्षमता में सुधार करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरूआत की गई और जूटविनिर्माण विकास परिषद् (जे.एम.डी.सी) जो वस्त्र मंत्रालय की एक एजेंसी हैं, को इस पायलट परियोजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। यह इसकी बजाय केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई) नई दिल्ली के लिए तकनीकी परामर्शदाता के रूप में बनी रही। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी और जूट विनिर्माण विकास परिषद के बीच एक समझौता हुआ है । इस पायलट परियोजना के लिए पाँच राज्यों में सड़कों का चयन कर लिया गया है।

सड़क अनुसंधान संस्थान के दिशानिर्देशन में जे.एम.डी.सी द्वारा चयनित सड़क कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई जिसे अधिकार संपन्न समिति द्वारा पास कर दिया गया है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने आवश्यक विशेष दिशा–निर्देशों के साथ–साथ एस.बी.डी के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कार्य को विशेष आवश्यक शर्तों के आधार पर दे दिया है। जेजीटी टेक्नॉलॉजी के साथ 6 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और सीआरआरआई द्वारा इन सड़कों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

जेजीटी टेक्नॉलॉजी के साथ 6 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और सीआरआरआई द्वारा इन सड़कों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

- **ग्रामीण सड़क पेवमैंट निष्पादन अध्ययन:** ग्रामीण सड़क पेवमैंट निष्पादन अध्ययन राज्य तकनीकी एजेंसियों के लिए आयोजित कार्यशाला की सिफारिशों पर शुरू किया गया ताकि निम्नलिखित के मूल्यांकन को सुगम बनाया जा सके:–

(i) स्थिरता बनाए रखने के लिए वर्तमान डिजाइन प्रक्रियाओं की दक्षता ।

(ii) विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवेशों में सड़कों पर चलने वाले यातायात में विविध वृद्धि की प्रवृत्तियाँ।

(iii) विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में निश्चित समयावधि में पेवमेंट की उत्तरोत्तर खराबी। ग्रामीण सड़क पेवमैंट निष्पादन अध्ययन कराने के लिए संस्थानों की पहचान कर ली गई है और समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

16 संस्थानों से प्रारंभिक तथा क्रमिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तथा निष्कर्ष निकालने के लिए उनका विश्लेषण किया जा रहा है। जिन संस्थानों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कि है उन्हें अग्रिम के रूप में दिए गए धन को वापस करने के लिए कहा गया था।

- **पूरी हुई पी एम जी एस वाई सड़कों पर यातायात घनत्व अध्ययनः** सड़क की नियत मियाद के दौरान उसके इस्तेमाल के लिए अपेक्षित यातायात पेवमैंट की डिजाइन के प्रमुख पैरामीटरों में से एक है। वर्तमान में नई सड़कों के लिए आधार वर्ष यातायात का स्वतःशोध निर्णय किया जाता है जो समान स्थितियों में मौजूद सड़कों के अनुभव पर आधारित होता है और उसके बाद उसे 6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अपग्रेडेशन के लिए चुनी गई सड़कों के लिए आधार वर्ष यातायात का मूल्यांकन यातायात गणना के द्वारा किया जाता है।

यह सत्यापन करने के लिए कि क्या माने हुए आधार वर्ष का यातायात और/अथवा मानी हुई वृद्धि हर सड़क के पूरा होने के बाद इस पर चलने वाले यातायात में परावर्तित होती है, इसके लिए दिसंबर, 2003 से

पूर्व पूरी हुई सड़कों के सैट में प्रतिनिधित्व सड़कों में से प्रति ब्लॉक एक सड़क पर यातायात घनत्व सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है। यह कार्य राज्य तकनीकी एजेंसियों को सौंपा गया था। उन्होंने संबंधित राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों के परामर्श से सड़कों का चयन किया है। लगभग 18 संस्थानों ने डाटा एकत्रित कर प्रस्तुत कर दिया है जिसका निष्कर्ष हेतु विश्लेषण किया जाता रहा है।

- **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं :–**

राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं की संवीक्षा की जाती है तथा उन्हें तकनीकी प्रदर्शन के लिए अधिकार संपन्न समिति को प्रस्तुत किया जाता है। बजरी की बनी काली सतह वाली सड़कों वाली परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई थी तथा इन सड़कों के निष्पादन के मूल्यांकन का कार्य एनआईटी वारंगल को सौंपा गया है। राज्यों को नियमित प्रस्तावों के साथ–साथ प्रौद्योगिक प्रदर्शन परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

8. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

8.1 चूंकि केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत हाई स्पीड डीजल पर उपकर की उगाही से उपलब्ध संसाधन इस प्रकार के कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के सहयोग से उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ताकि बाह्य वित्त पोषण एजेंसियों, जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी परियोजना की तैयारी और कार्य निष्पादन के लिए तकनीकी और प्रचालन संबंधी सहायता प्रदान करती है। ऋण परियोजना अनुबंधों में नियत फ्रेमवर्क के अनुसार इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन को भी एन आर आर डी ए द्वारा मॉनीटर किया जाता है।

8.2 विश्व बैंक परियोजना – I

वर्ष 2004–2005 के दौरान विश्व बैंक से 400 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए लिया गया था। मंत्रालय की ओर से एन आर आर डी ए परियोजना को मॉनीटर करती है, विश्व बैंक व राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करती है और आवश्यक अध्ययन करती है, क्षतिपूर्ति के दावों पर कार्यवाही करती है तथा तिमाही रिपोर्टें तैयार करती है। विश्व बैंक ऋण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2010 है।

विश्व बैंक मिशन ने अप्रैल से जून 2008 तथा अक्तूबर से दिसम्बर 2008 में एनआरआरडीए की सहभागिता से कार्यान्वयन की समीक्षा के कार्य को अपने अंतर्गत लिया था। परियोजना की समग्र प्रगति व उद्देश्य की प्राप्ति संतोषजनक पाई गई। अनुरक्षण घटकों की प्रगति बढ़ाने तथा पहचान किए गए क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन में उपस्थित कमी को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इन विषयों पर ध्यान देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी तथा तदनुसार कार्रवाई की गई थी। यह भी आवश्यक समझा गया था कि ऋण की शेष अवधि के दौरान समग्र उद्देश्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सांस्थानिक घटकों को मजबूत बनाया जाए।

परियोजना मूल्य निरूपण दस्तावेज में निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों के समक्ष कार्य निष्पादन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

निष्पादन सूचक कवर की गई बसावटें (%)

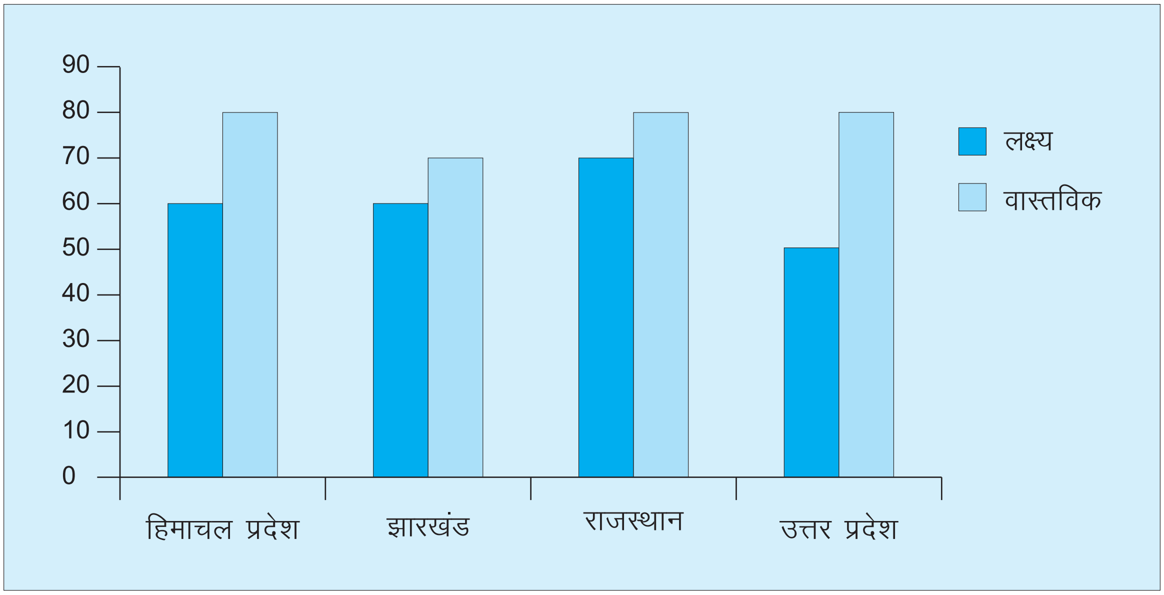

नेमी अनुरक्षण के अधीन कोर ग्रामीण सड़क नेटवर्क के कार्यनिष्पादन का (%)

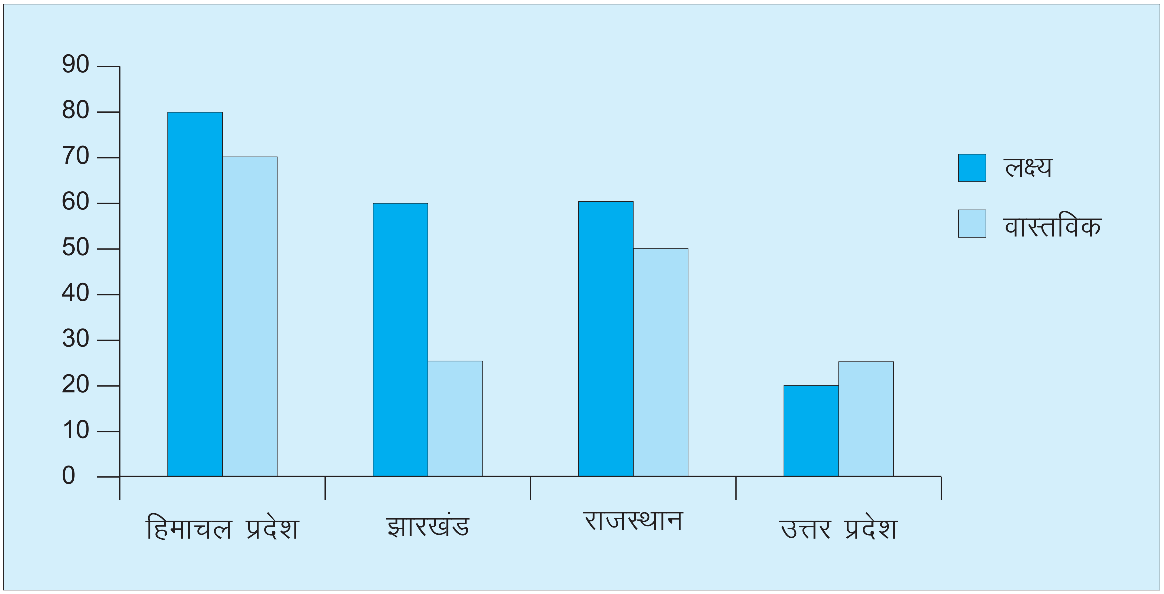

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पी एम जी एस वाई की मार्च 09 तक संचित प्रगति

राज्य	लम्बाई (कि.मी)	खर्च (रुपये करोड़ों में)
हिमाचल प्रदेश	765.39	131.12
झारखंड	98.80	26.68
राजस्थान	4911.48	769.30
उत्तर प्रदेश	1368.96	421.33

मार्च 09 तक उपयोग में लाया गया विश्व बैंक ऋण यूएसडी 280 एमएन

8.3 एशियाई डिवेलपमेन्ट बैंक

एशियन बैंक (एडीबी) पीएमजीएसवाई को पाँच राज्यों में 2 परियोजनाओं, ग्रामीण सड़क सेक्टर I परियोजना (आरआरएस I पी) तथा ग्रामीण सड़क सेक्टर II परियोजना (आरआरएस II पी) को सहायता उपलब्ध कराता रहा है। आरआरएस I पी 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का एकल ऋण था जबकि आरआरएस II पी एक मल्टी ट्रांशे वित्त (एमएफएफ) सुविधा है जो 750 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के वित्त प्रबन्ध के लिए सहमत है। यह सुविधा राज्यों तथा पीएमजीएसवाई कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर बहुत से ऋणों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। एडीबी से सहायता प्राप्त कार्यक्रम तथा ऋण इस प्रकार हैं :

ग्रामीण सड़क सेक्टर I परियोजना (ऋण संख्या 2018–आईएनडी 400 मिलियन अमरीकी डालर के लिए) :

आरआरएसआईपी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है। ऋण 25 जनवरी 2005 से प्रभावी किया गया था जबकि ऋण की अंतिम तिथि 30 जून 2009 (संशोधित) थी। परियोजना का अभिप्राय पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 11117 कि.मी. ग्रामीण सड़कें (मध्य प्रदेश 5943 कि.मी. तथा छत्तीसगढ़ 5174 कि.मी.) बनाने के लिए धन उपलब्ध कराना है। परियोजना की कुल लागत रु. 2520 करोड़ है तथा एडीबी निर्माण लागत का 76% वित्त प्रबन्ध कर रहा है जो कि 400 मिलियन अमरीकी डालर तक सीमित है। परियोजना को परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाताओं के माध्यम से एडीबी द्वारा अनुमोदित दोनों राज्यों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

कुल 11,117 कि.मी. में से मार्च 2009 तक 9210 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया।

मार्च 2009 तक 400 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से ए डी बी बैंक से 344 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई।

एनआरआरडीए को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता (पीएमसी) को भी रखा गया था। मार्च 2009 तक मध्य प्रदेश में 4860 कि.मी. तथा छत्तीसगढ़ में 4350 कि.मी लम्बाई की सड़कें बनाई गई हैं। वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 1436 कि.मी. तथा 1000 कि.मी ग्रामीण सड़कें बनाई गई थीं। मार्च 2009 तक एडीबी से 344 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

इस परियोजना में परियोजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय तथा सामाजिक रक्षोपायों के अनुपालन को मॉनीटर करने के प्रावधान रखे गए हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों तथा ग्रामीण सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा दिशानिर्देश तैयार किए गए थे तथा दो राज्यों में पायलट सड़कों पर लागू किए गए थे। परियोजना की सड़कों तथा वैसे ही क्षेत्रों में अन्य सड़कों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव निर्धारण भी इस परियोजना का एक हिस्सा है तथा दोनों राज्यों में विकास सूचकांकों का 6 महीने के अंतरालों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

ग्रामीण सड़क सेक्टर II निवेश कार्यक्रम

आर आर एस II पी को असम, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में दो और राज्यों–मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को शामिल करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तप्रबन्ध में एडीबी का हिस्सा 80% है। एक तकनीकी सहायता परामर्शदाता (टीएससी) को सामुदायिक सहभागिता संरचना (सीपीएफ) की सहायता के लिए एनआरआरडीए द्वारा रखा गया है।

पर्यावरणीय तथा सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को भी ऋण में से वित्तपोषित किया जा रहा है। एडीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार उप–परियोजना तैयार करने के लिए राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा वित्तपोषित परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता (पीआईसी) भी रखे गए हैं। अब तक इस कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन स्वतन्त्र ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

कुल 6704 कि.मी. में से मार्च 2009 तक 3768 कि. मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया।

मार्च 2009 तक 363 मिलियन अमरीकी डालर ऋण में से एडीबी बैंक से 197 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई।

- **ऋण संख्या 2248–आईएनडी** : असम, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में बैच I के अंतर्गत लगभग 3200 कि.मी. ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 180 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण 18 अक्तूबर 2006 से प्रभावी बनाया गया। ऋण की अंतिम तिथि 30 जून 2009 (संशोाधित) थी। मार्च 2009 तक तीन राज्यों में लगभग 2413 कि.मी. सड़कें बनाई गई थी। वर्ष 2008–09 के दौरान 426 कि.मी. ग्रामीण सड़कें तैयार की गई। मार्च 2009 तक ए डी बी से 158 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति हुई।

- **ऋण सं. 2414–आईएनडी** : उड़ीसा राज्य में बैच सं II के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन के लिए 77.65 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है। यह ऋण 9 जुलाई 2008 से प्रभावी किया गया था । ऋण की आखरी तारीख 31 दिसम्बर 2009 है। वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य में 446 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया जिससे मार्च 2009 तक पूर्ण की गई सड़कों की कुल लम्बाई 983 कि.मी. थी। मार्च 2009 तक एडीबी से लगभग 18 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति हुई।

- **ऋण सं 2445–आईएनडी :** ग्रामीण सड़कों के कर्यान्वयन के लिए एडीबी बैच II के अंतर्गत असम तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए 130 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया था। इस ऋण को 5 जनवरी 2009 से प्रभावी किया गया तथा ऋण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2010 है। इस ऋण के अंतर्गत 1892 कि. मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2009 तक के ऋण से 372 कि.मी. सड़कें निर्मित की जा चुकी हैं। मार्च 2009 तक एडीबी से लगभग 21 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति हो चुकी है।

8.4 प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

पीआईयू तथा एस आर आर डी ए स्तर पर पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में लगे अभियन्ताओं तथा कर्मिकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण परियोजना से प्राप्त हुई उपलब्धियों की गुणवत्ता निर्धारण करने वाली मुख्य बातों में से एक है। लगभग 17.000 कार्मिकों को मार्च 2008 तक विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना तैयार करने, निर्माण पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रबन्धन, ऑनलाइन मॉनीटरिंग तथा अन्य पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मंत्रालय ने 2008–09 में पीएमजीएसवाई के इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) में चलाने का निर्णय लिया। इन राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आधारिक संरचना तथा अन्य सुविधाएं विकसित की हुई हैं। प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था एसआरआरडीए तथा एस आई आर डी से सहयोग करके निम्नलिखित ढंग से की गई हैं:

- अधीक्षक अभियन्ता के रैंक का अधिकारी एसआईआरडी के साथ प्रशिक्षण गतिविधियों को समन्वित करेगा।
- एनआरआरडीए द्वारा 2, 3 तथा 6 दिन की अवधि के पाठयक्रम विकसित किए गए हैं।
- एसआरआरडीए कार्मिकों को गुणवत्ता जांच संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योग्य गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला का पता लगाने के लिए एसआईआरडी को सहयोग देगा।
- एसआईआरडी द्वारा प्रयोग के लिए पीएमजीएसवाई वेबसाइट पर अतिथि प्राध्यापकों की सूची उपलब्ध करना।

वर्ष 2008–09 के दौरान इन प्रावधानों के आधार पर 1620 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए लगभग 61 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा लगभग 90 अभियन्ताओं को राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएचई) नोएडा में 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

9. भारतीय सड़क कांग्रेस में सहभागिता

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) का 69वां वार्षिक अधिवेशन 13–16 दिसंबर 2008 के दौरान पश्चिमी बंगाल कलकत्ता में संपन्न हुआ। वार्षिक सम्मेलन में एनआरआरडीए के अधिकारियों, वरिष्ठ अभियन्ताओं और सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में लगे एसटीए/पीटीए के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान एनआरआरडीए के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर लेख प्रस्तुत किए। तकनीकी सत्र के साथ–साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें पीएमजीएसवाई के उद्देश्यों, क्षेत्र, प्रक्रियाओं,

निर्माण तथा रखरखाव की कार्य विधियों, उपलब्धियों तथा प्रभाव को दर्शाया गया था। प्रदर्शनी के दौरान व्यावसायिकों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से पीएमजीएसवाई कार्यक्रम पर साकारात्मक विचार प्रस्तुत किए गए।

10.0 कार्यशालाएं :

10.1 माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 22–23 नवम्बर 2008 को अरूणाचल प्रदेश के त्वांग में ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ी सड़कों के आयोजन एवं निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। अरूणाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने कार्यशाला की कार्रवाही की अध्यक्षता की। कार्यशाला का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित मुद्दों की पहचान करना था जिससे पहाड़ी राज्यों को ज्यामितिक, भूवैज्ञानिक, मानचित्रण, भू–तकनीकी जाँचें, निर्माण प्रबंधन एवं प्रणालियां और डिजीटल भू–भाग मानचित्रण, जो कि पहाड़ी सड़कों के आयोजन का महत्वपूर्ण पहलू है जैसे तकनीकी मुद्दों पर बातचीत एवं विचारविमर्श का अवसर उपलब्ध कराया जा सके।

कार्यशाला में पहाड़ी राज्यों एवं अन्य राज्यों, जिनमें पहाड़ी सड़कें हैं से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा पहाड़ी सड़कों के आयोजन, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञों तथा विषय के जानकारों

ने भी कार्यशाला में भाग लिया तथा विशिष्ट मुद्दों पर प्रभावकारी प्रस्तुति की।

10.2 राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों एवं राज्य तकनीकी एजेंसियों के कार्यनिष्पादन पर पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए कार्यशालाः एसटीए/पीटीए तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों के कार्यनिष्पादन पर पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए 9 एवं 10 फरवरी 2009 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में कार्यरत एवं नए सूचिबद्ध राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों ने भाग लिया। भाग लेने वाले राज्यों की राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) सहित राज्य गुणवत्ता समन्वयकों ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला दो समान सत्रों में सम्पन्न हुई। एक सत्र में एसटीए के कार्यनिष्पादन तथा डीपीआर से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की गई। दूसरे सत्र में कार्यरत राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों के कार्य निष्पादन के साथ–साथ नए सूचीबद्ध राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया।

10.3 ई–प्रापण पर कार्यशाला

कुछ राज्यों में पीएमजीएसवाई कार्यों की इलेक्ट्रॉनिक–टेंडरिंग के लाभों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निणर्य किया है कि 1 अप्रैल 2009 से पीएमजीएसवाई के सभी कार्यों का प्रापण इलेक्ट्रॉनिक–टेंडरिंग के माध्यम से हो सकेगा।

पीएम जी एस वाई कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक–टेंडरिंग सुनिश्चित करने हेतु एक कार्य–योजना निश्चित करने के लिए 18 मार्च, 2009 को एक कार्यशाला की गई थी।

कार्यशाला में राज्यों में पीएमजीएसवाई लागू करने वाले केन्द्रक (नोडल) सचिवों ने भाग लिया। कार्यशाला की उपलब्धियों से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक–टेंडरिंग की सफलता के लिए संगठन तथा संविदाकार

की क्षमता तैयार करना आवश्यक है। इस कार्य को हस्तचालित पद्दति से इलेक्ट्रॉनिक पद्दति में बदलने के लिए प्रक्रिया के पुनःयान्त्रिकीकरण की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान लगभग 18 राज्यों ने वित्त वर्ष 2009–10 में एनआईसी प्लेटफार्म तथा इलेक्ट्रॉनिक–प्रापण को अपनाने की सुविधाओं को प्रयोग करने के लिए अपनी उत्सुकता दर्शाई।

11. पीएमजीएसवाई के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का निर्धारण:

I. एशियन विकास बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से पांच राज्यों–असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित नमूना सड़कों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव का निर्धारण किया गया। यह प्रभाव निर्धारण एडीबी द्वारा ग्रामीण सड़क सेक्टर I परियोजना ऋण तथा ग्रामीण सड़क सेक्टर II निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित स्वतन्त्र परामर्शदाताओं द्वारा किया गया था। इस अध्ययन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण ''पहले–बाद में तथा के साथ व के बिना'' वाला दृष्टिकोण था। यह वैसे ही क्षेत्रों से मिलती जुलती सड़क स्थितियों तथा सामाजिक स्थितियों में नियन्त्रण सड़कों के नमूनों (जिन्हें

पीएमजीएसवाई में नहीं लिया गया) तथा परियोजना सड़कें (जिन्हें पीएमजीएसवाई में लिया गया) का चयन करके किया गया था। गांवों के विभिन्न सूचकों में बदलाव देखने के लिए दोनों किस्म की सड़कों पर वार्षिक सर्वेक्षण किए गए थे। प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट से पता चला है कि नमूना घरों की प्रति व्यक्ति आय, मोटर वाहनों की आवृत्ति, ग्रामीणों का औसत यात्रा समय, गांव में निजि वाहनों की संख्या, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में कमी, स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति तथा अन्य गांवों की तुलना में पीएमजीएसवाई द्वारा संपर्क प्रदान किए गए गांवों में भूमि की कीमत आदि जैसी बातों में सुधार हुआ है। सामाजिक–आर्थिक प्रभाव निर्धारण की एक प्रति पीएमजीएसवाई वेबसाईट **www.pmgsy.nic.in, www.pmgsyonline.nic.in** पर दर्शाई गई है।

ए डी बी द्वारा वित्तपोषित स्वतन्त्र परामर्शदाताओं द्वारा किए गए प्रभाव निर्धारण से पता चला है कि नमूना घरों की प्रति व्यक्ति आय, मोटर वाहनों की आवृत्ति, ग्रामीणों का औसत यात्रा समय, गांव में निजि वाहनों की संख्या, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में कमी, स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति तथा अन्य गांवों की तुलना में पीएमजीएसवाई द्वारा संपर्क प्रदान किए गए गांवों में भूमि की कीमत आदि जैसी बातों में सुधार हुआ है।

II. सामाजिक आर्थिक प्रभाव का निर्धारण करने के लिए 10 राज्यों में, जहाँ पीएमजीएसवाई सड़कें निर्मित की जा रही है, एक अन्य अध्ययन किया गया। ग्रामीणों द्वारा पीएमजीएसवाई सड़कों का प्रयोग करने पर हुई संतुष्टि को भी दृष्टिगत रखा गया जिससे निम्नलिखित तथ्य सामने आए :

1. यात्रा खर्च में बचतः संपर्कित बसावट की अपेक्षा संपर्कविहीन बसावट की यात्रा 40% महंगी होती है।

2. संपर्कित बसावटों में 30% गैर कृषि रोजगार के उपलब्ध होने की संभावना।

3. संपर्कित बसावटों में व्यापार/व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपनाने में 52% तक बढ़ौतरी हुई जबकि संपर्कविहीन बसावटों में इसमें केवल 6% वृद्धि हुई।

4. सभी बारह मासी संपर्कित बसावटों में लड़कों के स्कूल जाने में 70% बढ़ोतरी की संभावना है।

5. संपर्कित बसावटों में आजीविका के तौर पर निर्माण श्रम के धंधे में 80% बढ़ोतरी हुई जबकि संपर्कविहीन बसावटों में यह बढ़ोतरी 66% थी।

6. बारह मासी संपर्कता उपलब्ध हो जाने से विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की अनुपस्थिति में कमी आई यहाँ तक की स्कूल मानसून के दिनों में भी खुले हैं।

जीवन स्तर :

- अच्छी संपर्कता के कारण घर से कार्य स्थल तक नियमित आना–जाना संभव हुआ।

- पारिवारिक मामलों तथा बच्चों की शिक्षा के विषय में दिलचस्पी बढ़ी।
  - बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का सुपाना गांव
- सड़क निर्माण में सीधे रोजगार
- कौशल तथा आय के स्तर में सुधार
  - पश्चिमी बंगाल के बर्दवान भगदंगा गांव

रोजगार के अवसर

- छोटे किसान/कृषि मजदूर गैर कृषि रोजगार में स्थानान्तरित

- पहले किए जा रहे कृषि कार्यों की तुलना में अधिक आमदनी
  - आलमपुर गांव, बर्दवान पश्चिमी बंगाल
  - मक्कलगेरी गांव, बेलगाम कर्नाटक
- निर्माण श्रमिकों को अस्थाई दुकानों से अनुपूरक आय
  - लोनी गांव, धार, मध्य प्रदेश

कृषि

- संपर्कता में सुधार के कारण खाद/कीटनाशकों के नियमित प्रयोग से अच्छी उपज

- **कृषि कार्यों से आय में बढ़ोतरी**
  – छुपारी गांव, शिमला, (हि.प्र)
- **कृषि उत्पादों को विपणन केन्द्रों में ले जाने के लिए ट्रैक्टर द्वारा आसान ढुलाई।**
- **अच्छी सड़कों के कारण ढुलाई वाले वाहनों के रखरखाव की लागत में कमी से आय में बढ़ोतरी।**
  – मक्केलगिरी गांव, बेलगाम कर्नाटक
  – जलमेरी पाली गांव : गंजम, उड़ीसा

12. बजट

वर्ष 2008–09 के लिए अनुमोदित संशोधित बजट प्राक्कलन तथा इसके प्रति किया गया व्यय परिशिष्ट VI में दिया गया है। मन्त्रालय से अनुदान के रूप में मिली वर्ष की प्राप्तियां 444.50 करोड़ रुपये थीं तथा ब्याज एवं विविध प्राप्तियों के अलावा नबार्ड से 7,499.99 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ।

13. लेखा तथा लेखा परीक्षा

वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियों से 444.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिनमें नबार्ड को अदा किया गया ब्याज भी शामिल था। नबार्ड से ऋण के रूप में प्राप्त 7,499.99 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए।

एजेंसी के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्स संदीप रामनिवास गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों, जिन्हें इस कार्य के लिए रखा गया है द्वारा की गई।

तुलन पत्र प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, वर्ष 2008–09 के लिए प्राप्ति एवं व्यय लेखा तथा लेखे से संबंधित नोट क्रमशः संलग्नक VII (क) (ख) (ग) (घ) एवं (च) पर दिए गए हैं।

परिशिष्ट – I

एन. आर. आर. डी. ए का संगठनात्मक ढांचा

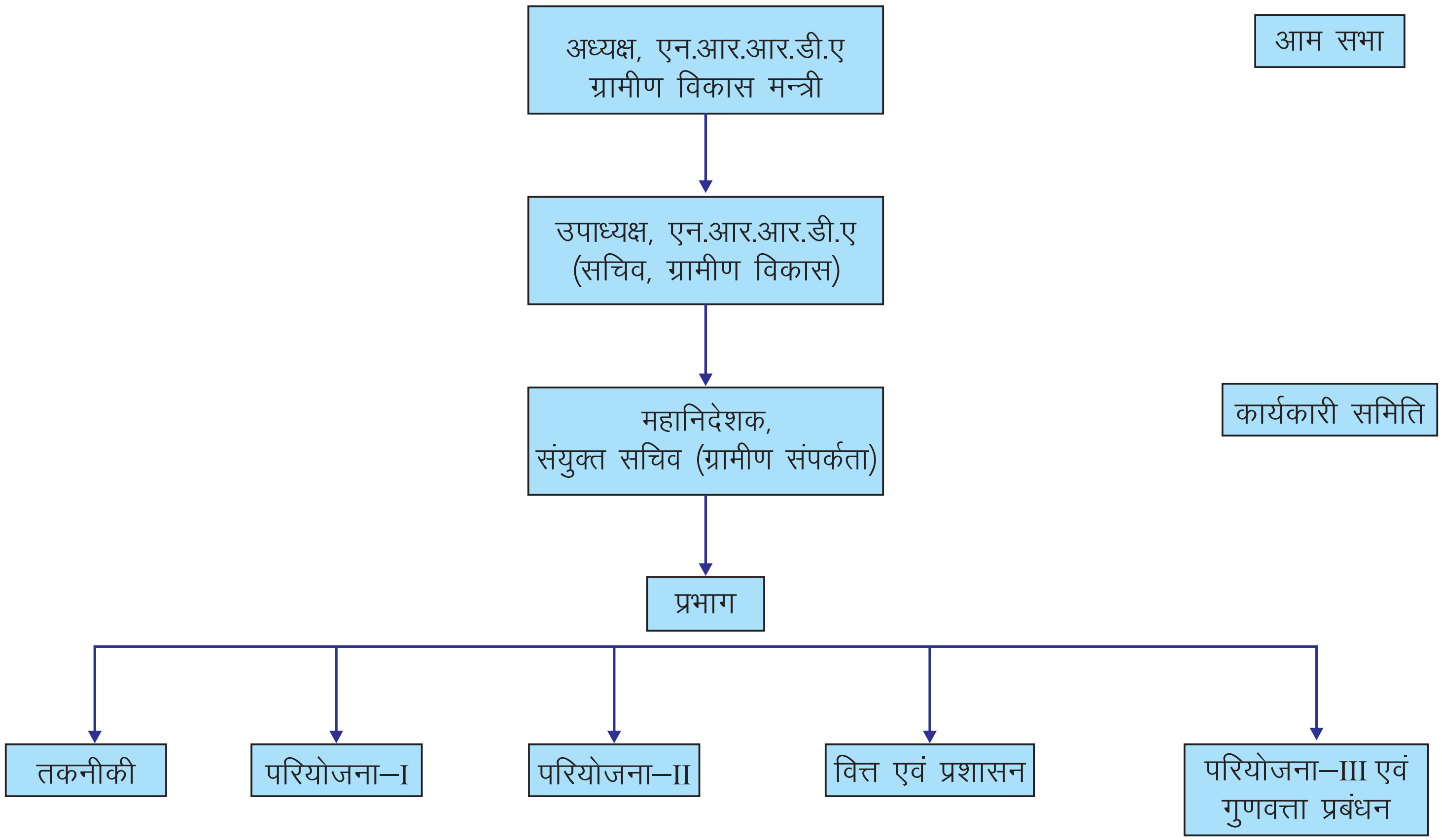

इसके अलावा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा सूचना तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। श्रीमती अनुभा गोयल, तकनीकी निदेशक

प्रमुख तकनीकी अभिकरणों (पी टी ए) की सूची

क्र.सं.	पी. टी. ए.	राज्यों के लिए
1.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी. आर.आर. आई), नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजरात, और मध्य प्रदेश
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
5.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
6.	इंजीनियरिंग कॉलेज बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	कर्नाटक, तमिलनाडु केरल और गोवा
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल

परिशिष्ट – III

राज्य तकनीकी एजेंसियों (एस. टी. ए.) की सूची

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
1.	आंध्र प्रदेश	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) जे. एन. टी. विष्वविद्यालय, कुकटपल्ली महावीर मार्ग (3) यूनीवर्सिटी कॉलेज आफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनीवर्सिटी	वारंगल–506004 हैदराबाद – 500072 हैदराबाद – 500007
2.	अरुणाचल प्रदेश	(1) उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (2) जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	निर्जुली – 791109 जोरहाट–785007
3.	असम	(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) असम इंजीनियरिंग कॉलेज, जलुकबाड़ी	गुवाहाटी–781039 गुवाहाटी–781013
4.	बिहार	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (3) भागलपुर कॉलेज आफ इंजीनियरिंग	पटना विश्वविद्यालय, पटना–800005 मुजफ्फरपुर–842003 भागलपुर–813210
5.	छत्तीसगढ़	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जी.ई. रोड (2) भिलाई प्रौधोगिकी संस्थान	रायपुर – 492010 दुर्ग–491001
6.	गोवा	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	फरमागुडी –403401
7.	गुजरात	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	इच्छानाथ, सूरत–395007

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
8.	हरियाणा	(1). राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज	कुरूक्षेत्र – 136119 सैक्टर – 12, चण्डीगढ़ – 160012
9.	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	हमीरपुर – 177005
10.	जम्मू एवं कश्मीर	(1) एन.आई.टी, श्रीनगर (2) राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, जम्मू	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर–190006 जम्मू–तवी – 180001
11.	झारखण्ड	(1) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर (3) बी आई टी, सीन्दरी,	मेसरा – 835215 (रांची) जमशेदपुर–831014 पी.ओ. आर.आई.टी धनबाद – 828123
12.	कर्नाटक	(1) बंगलौर विश्वविद्याालय (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल (3) पी.डी.ए इंजीनियरिंग कॉलेज, गुलबर्गा (4) आई.आर. रास्ता, रोड इंस्टीच्यूट	बंगलौर – 560056 पी. ओ. – श्रीनिवासनगर, मंगलौर – 575025 ऐवान–ए–शाही, स्टेशन एरिया, गुलबर्गा बंगलोर–560058, कर्नाटक
13.	केरल	(1) इंजीनियरिंग कॉलेज (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	त्रिवेन्द्रम – 695016, केरल कालीकट
14.	मध्य प्रदेश	(1) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (3) एस.जी.एस प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	भोपाल – 462051 जबलपुर – 482011, इन्दौर इंदौर

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
15.	महाराष्ट्र	(1) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (3) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, औरंगाबाद (4) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवाजी नगर,	दक्षिण अम्बाझरीवाद, नागपुर–440011 पोवई, मुम्बई–400076 औरंगाबाद–431005 पुणे – 411005
16.	मणिपुर	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	सिलचर – 788010
17.	मेघालय	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	गुवाहाटी – 781039
18.	मिजोरम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर – 721303
19.	नागालैण्ड	जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	जोरहाट–785007
20.	उड़ीसा	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज (3) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज (4) इंदिरा गांधी इंस्टिच्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी, सारंग	राऊरकेला – 769008 भुवनेश्वर बरला सरंग–759146 जिला ढेंकानल, उड़ीसा
21.	पंजाब	(1) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (2) ज्ञानी जैलसिंह कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नॉलॉजी (3) थापर इंस्टिच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नॉलॉजी	सेक्टर – 12, चण्डीगढ़ – 160012 डबवाली रोड माटिंडा–151001 पटियाला – 147004
22.	राजस्थान	(1) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) यूनीवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान	टेक्नीकल यूनीवर्सिटी जयपुर – 302017 कोटा – 324010

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
23.	सिक्किम	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	जलपाईगुडी – 735102
24.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरूचिरापल्ली – 620015
25.	त्रिपुरा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	अगरतला – 799055
26.	उत्तर प्रदेश	(1) एम. एन. एन. आई. टी. इंजीनियरिंग कॉलेज (2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (3) कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (4) हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (5) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (6) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	इलाहाबाद – 211004 रुड़की – 247667 सुल्तानपुर – 228118 कानपुर सीतापुर रोड, लखनऊ–226021 वाराणसी – 221005
27. 28.	उत्तरांचल पश्चिम बंगाल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (3) बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनीवर्सिटी शिबपुर (4) जादवपुर यूनीवर्सिटी	रुड़की – 247667 खड़गपुर – 721302 जलपाईगुड़ी – 735102 हावड़ा – 711103 एस.सी मल्लिक रोड, कोलकाता – 700032

परिशिष्ट–IV

वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रस्ताव

क्र.	राज्य	2006-07				2007-08				2008-09			
		मूल्य (करोड़ो में)	सड़को की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल की गई बसावटें	मूल्य (करोड़ो में)	सड़को की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल की गई बसावटें	मूल्य (करोड़ो में)	सड़को की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल की गई बसावटें
1	आन्ध्र प्रदेश	350.21	340	1829.32	2	527.57	366	2071.63	0	1756.97	1260	5070.65	647
2	अरूणाचल प्रदेश	413.03	116	898.60	81					952.93	168	1445.50	125
3	असम	1548.60	417	2853.40	2518	570.12	139	984.27	607	5078.39	2582	7677.39	4077
4	बिहार	1483.69	430	3703.55	1967	3231.41	1531	7624.82	2266	10139.76	5628	20078.16	9314
5	छत्तीसगढ़	1102.27	924	3847.94	1690	1978.06	1251	6836.67	2335	1111.80	1049	3819.82	1045
6	गोवा												
7	गुजरात	224.02	449	1298.66	340	235.46	390	1362.23	230	394.58	466	1567.74	378
8	हरियाणा	199.64	47	618.83	0	446.82	108	1085.23	0	371.79	67	697.17	1
9	हिमाचल प्रदेश	968.64	639	4559.75	977	366.37	165	1564.97	146	48.70	19	145.14	13
10	जम्मू और कश्मीर	667.81	251	1566.17	465	192.09	25	334.55	0	1200.26	440	2259.43	551
11	झारखंड					499.49	353	1679.78	593	973.12	669	3122.31	2396
12	कर्नाटक	418.28	252	2093.94	0	656.14	313	2450.06	0	1431.14	739	4864.10	0
13	केरल	46.56	77	155.95	0	294.21	322	733.27	0	230.47	200	533.54	0
14	मध्य प्रदेश	3152.12	2971	13088.74	4190	3395.17	2953	12083.40	1702	2586.40	1935	8917.85	80
15	महाराष्ट्र	1107.92	1559	6079.08	258	1475.48	441	4626.21	47	268.36	128	824.07	59

क्र.	राज्य	2006-07				2007-08				2008-09			
		मूल्य (करोड़ो में)	सड़को की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल की गई बसावटें	मूल्य (करोड़ो में)	सड़को की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल की गई बसावटें	मूल्य (करोड़ो में)	सड़को की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल की गई बसावटें
16	मणिपुर	152.23	59	556.19	93					363.66	131	1157.37	145
17	मेघालय	39.62	26	105.59	38					128.54	36	183.54	40
18	मिजोरम					147.15	30	399.40	35	227.89	47	560.84	45
19	नागालैण्ड					126.26	29	467.00	14	54.04	11	205.20	13
20	उड़ीसा	1093.65	843	3024.87	1037	2670.21	1689	6617.05	2069	3843.42	2076	10127.18	1964
21	पंजाब	569.26	119	1525.16	0	344.21	63	763.90	0				
22	राजस्थान	1833.02	3634	10768.20	4085	2916.33	2321	14546.99	1763	804.97	337	3496.87	0
23	सिक्किम	149.00	67	323.27	80	94.08	39	206.73	33	254.56	105	488.69	86
24	तमिलनाडु	174.31	379	849.23	398					1324.63	2409	5113.63	45
25	त्रिपुरा	525.21	266	861.36	713	703.11	332	1148.71	706	223.27	78	340.31	64
26	उत्तर प्रदेश	2289.76	2881	8093.77	2700	2177.76	817	6364.42	83	2821.77	1310	8011.26	206
27	उत्तराखण्ड	203.04	102	890.31	189	236.88	94	790.61	179				
28	पश्चिम बंगाल	657.78	236	1692.79	1807	1119.96	444	3035.80	2044	1171.54	590	2782.01	2004
	योग	**19369.65**	**17084**	**71284.67**	**23628**	**24404.34**	**14215**	**77777.69**	**14852**	**37762.95**	**22480**	**93489.78**	**23298**

संलग्नक–V

जनवरी 2007 से मार्च 2009 के दौरान
गुणवत्ता श्रेणीकरण दर्शाने वाली राज्यवार विवरणी

क्रम सं.	राज्य	कुल निरीक्षण	श्रेणीकरण							
			पुर्ण कार्य				चालू कार्य			
			कुल	स	अ	अ%	कुल	स	अ	अ%
1	आंध्र प्रदेश	480	151	147	4	3%	329	285	44	13%
2	आरूणाचल प्रदेश	128	26	23	3	12%	102	93	9	9%
3	असम	527	48	47	1	2%	479	425	54	11%
4	बिहार	53	0	0	0		53	25	28	53%
5	बिहार (एन.ई.ए)	312	46	42	4	9%	266	226	40	15%
6	छत्तीसगढ	594	118	94	24	20%	476	358	118	25%
7	गुजरात	289	120	110	10	8%	169	147	22	13%
8	गोवा	0	0	0	0		0	0	0	
9	हरियाणा	179	48	47	1	2%	131	123	8	6%
10	हिमाचल प्रदेश	247	45	44	1	2%	202	189	13	6%
11	जम्मू और कश्मीर	171	13	13	0	0%	158	150	8	5%
12	झारखण्ड	193	22	22	0	0%	171	150	21	12%
13	कर्नाटक	386	54	52	2	4%	332	303	29	9%
14	केरला	208	26	26	0	0%	182	131	51	28%
15	मध्य प्रदेश	1038	122	112	10	8%	916	842	74	8%
16	महाराष्ट्र	1057	60	52	8	13%	997	883	114	11%
17	मणिपुर	58	2	0	2	100%	56	36	20	36%
18	मेघालय	65	6	4	2	33%	59	37	22	37%
19	मिजोरम	64	7	7	0	0%	57	47	10	18%
20	नागालैण्ड	48	1	1	0	0%	47	39	8	17%
21	उड़ीसा	888	154	153	1	1%	734	632	102	14%
22	पंजाब	374	95	91	4	4%	279	276	3	1%
23	राजस्थान	808	257	245	12	5%	551	509	42	8%
24	सिक्किम	104	5	5	0	0%	99	80	19	19%
25	तमिलनाडु	324	121	99	22	18%	203	145	58	29%
26	त्रिपुरा	61	5	5	0	0%	56	50	6	11%
27	उत्तर प्रदेश	1200	384	366	18	5%	816	699	117	14%
28	उत्तराखण्ड	129	9	9	0	0%	120	95	25	21%
29	पश्चिम बंगाल	509	75	73	2	3%	434	415	19	4%
	योग	**10494**	**2020**	**1889**	**131**	**6%**	**8474**	**7390**	**1084**	**13%**

स– संतोषजनक
अ–असंतोषजनक
अ%–असंतोषजनक का प्रतिशत

संलग्नक VI

वास्तविक व्यय 2008–2009

विषय शीर्ष और उद्देश्य	संशोधित प्राक्कलन 2008–2009	वास्तविक मार्च 2009 तक	परिवर्तन अधिक्य/बचत
1. प्राप्ति			
अथ शेष			
एम.ओ.आर.डी अनुदान	4,529,471	3,328,516	
विश्व बैंक टी.ए			
ब्याज	120,000,000	123,460,000	
(1.1.01) एम.ओ.आर.डी से अनुदान	120,000,000	123,460,000	
(1.1.02) ब्याज प्राप्ति	216,465	1,131,849	
(1.1.03) विविध प्राप्ति	10,300,038	10,878,178	
(1.1.04) भारत सरकार–विश्व बैंक से प्राप्ति	100,000		
(1.1.05) भारत सरकार – ए.डी.बी से प्राप्ति	27,500,000	25,681,000	
लेखा संख्या 2071 से 3152 को अंतरित		1,296,723	
(1.1.06) नबार्ड से प्राप्त ऋण	75,000,000,000	74,999,999,700	
(1.1.08) एमओआरडी से अनुदान नवार्ड ऋण पर ब्याज	4,087,389,540	4,321,520,000	
कुल प्राप्ति	**79,250,035,514**	**79,487,295,966**	-
2. खर्च			
(1.2.1) स्थापना			
(1.2.1.01) वेतन तथा भत्ते	7,280,515	5,806,783	1,473,732
(1.2.1.02) मजदूरी		-	-
(1.2.1.03) समयोपरि भत्ता	20,000	19,241	759
(1.2.1.04) चिकित्सा दावों पर खर्च	600,000	584,922	15,078
(1.2.1.05) छुट्टी के बदले नकद भुगतान	-		
कुल स्थापना	**7,900,515**	**6,410,946**	**1,489,569**
(1.2.2) प्रशासनिक खर्चे			
(1.2.2.01) कार्यालय का रखरखाव/कर एवं शुल्क	2,000,000	1,691,143	308,857
(1.2.2.02) घरेलू यात्रा पर खर्च	2,500,000	2,195,476	304,524
(1.2.2.03) विदेश यात्रा पर खर्च	150,000	15,255	134,745
(1.2.2.04) वाहनों का किराया	1,621,042	1,669,464	(48,422)
(1.2.2.05) छपाई एवं लेखन सामग्री	600,000	741,652	(141,652)
(1.2.2.06) बैठकों पर खर्च	500,000	268,424	231,576
(1.2.2.07) कार्यालय के लिए व्यवसायिक सेवाएं	10,500,000	10,787,709	(287,709)
(1.2.2.08) कार्यालय टेलीफोन	687,530	638,519	49,011
(1.2.2.09) आवास पर टेलीफोन और मोबाइल	130,000	164,637	(34,637)
(1.2.2.10) वाहनों का रख रखाव	265,000	225,303	39,697
(1.2.2.11) बिजली के बिल	854,990	708,014	146,976
(1.2.2.12) डाक का खर्च	1,656,204	1,459,684	196,520
(1.2.2.13) मरम्मत तथा अनुरक्षण	833,280	880,944	(47,664)

विषय शीर्ष और उद्देश्य	संशोधित प्राक्कलन 2008–2009	वास्तविक मार्च 2009 तक	परिवर्तन अधिक्य / बचत
(1.2.2.14) बीमे का खर्च	-	-	-
(1.2.2.15) कार्यालय से संबंधित अन्य खर्चे	1,500,000	898,192	601,808
कुल प्रशासनिक खर्चे	**23,798,046**	**22,344,416**	**1,453,630**
(1.2.3) आर एवं डी तथा एच.आर.डी			
(1.2.3.01) प्रशिक्षण	5,000,000	1,211,118	3,788,882
(1.2.3.02) तकनीकी विकास एवं अनुसंधान संबंधी कार्य	5,222,852	838,802	4,384,050
(1.2.3.03) कार्याशालएं तथा सम्मेलन	2,750,000	4,089,781	(1,339,781)
(1.2.3.04) व्यावसायिक निकायों को अंशदान	300,000	255,000	45,000
(1.2.3.05) व्यावसायिक सेवाएं	12,150,760	4,214,213	7,936,547
कुल आर एवं डी तथा एचआरडी	**25,423,612**	**10,608,914**	**14,814,698**
(1.2.4) प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार			
(1.2.4.01) प्रकाशन	1,300,000	1,273,783	26,217
(1.2.4.02) विज्ञापन एवं प्रचार	110,000	693,758	(583,758)
(1.2.4.03) पुस्तकें पत्रिकाएं तथा श्रव्य एवं दृश्य सामग्री	100,000	243,475	(143,475)
कुल प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार	**1,510,000**	**2,211,016**	**(701,016)**
(1.2.5) एस.टी.ए, पी.टी.ए तथा एन.क्यू.एम			
(1.2.5.01) एन.क्यू.एम को मानदेय	8,100,000	8,930,366	(830,366)
(1.2.5.02) एन.क्यू.एम को यात्रा खर्च	10,000,000	11,956,158	(1,956,158)
(1.2.5.03) प्रधान तकनीकी एजेंसियों को भुगतान	-	-	-
(1.2.5.04) राज्यों की तकनीकी एजेंसियों को भुगतान	33,025,170	33,228,145	(202,975)
कुल एस टी ए, पी टी ए तथा एन क्यू एम	**51,125,170**	**54,114,669**	**(2,989,499)**
(1.2.6) ओ.एम.एम.एस और कम्प्यूटरीकरण			
(1.2.6.01) आन लाइन प्रबन्धन व्यवस्था का विकास और अनुरक्षण	14,790,600	13,730,694	1,059,906
(1.2.6.02) कम्प्यूटरों तथा संबद्ध उपकरणों का किराया		-	-
कुल ओ.एम.एम.एस और कम्प्यूटरीकरण	**14,790,600**	**13,730,694**	**1,059,906**
(1.2.8) तकनीकी सहायता ए.डी.बी			
(1.2.8.01) परामर्श	27,500,000	20,913,670	6,586,330
(1.2.8.02) अन्य		-	-
कुल तकनीकी सहायता एडीबी	**27,500,000**	**20,913,670**	**6,586,330**

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

5वां तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली.

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

(राशि रू.)

पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि	1	59,181,979.00	65,906,903.00
सामान्य निधि	2	306,638,825.86	71,908,159.29
नबार्ड से ऋ़ण		119,999,997,700.00	44,999,998,000.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	6,092,381.00	212,189,836.00
योग		**120,371,910,885.86**	**45,350,002,898.29**
नियत परिसम्पति			
समग्र ब्लॉक	4	111,491,507.00	110,776,895.00
घटाएं संचयी अवमूल्यन		52,309,528.00	44,869,992.00
निवल ब्लॉक		59,181,979.00	65,906,903.00
मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, आदि	5	312,731,206.86	284,097,995.29
राज्यों को वितृत किया गया सहायता अनुदान		119,999,997,700.00	44,999,998,000.00
योग		**120,371,910,885.86**	**45,350,002,898.29**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	13		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **संदीप रामनिवास गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

वास्ते **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी,**

–हस्त–
(संदीप गुप्ता) एफसीए
सझीदार
एम नं 075269
दिनांक 17 अगस्त 2009
स्थान : गाजियाबाद

–हस्त–
(राजेन्द्र चौहान)
निदेशक (वित्त एवं प्रशा)

–हस्त–
(जे.के. मोहापात्र)
(महानिदेशक)

परिशिष्ट–VII (ख)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली

अनुसूची–12
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां निम्न प्रकार हैः

(क) लेखाकरण नीतियां (ए.एस–1)

भारत में प्रयोज्य लेखाकरण नीतियों, आई.सी.ए.आई. और संबंधित प्रावधानों द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के साथ, इस एजेंसी ने वर्ष के दौरान प्रोद्भवन लेखाकरण को अपनाया है।

(ख) नियत परिसंपत्तियां (ए.एस–10)

लागत विहीन मूल्यह्रास पर नियत परिसंपत्तियों को दिखाया गया है। लागत में अर्जन की लागत, सुधार की लागत और परिसंपत्ति को इसके अभीष्ट प्रयोग की अवस्था तक लाने में लगनेवाली आरोपणीय लागत शामिल है।

(ग) मूल्यह्रास (ए.एस–6)

आयकर अधिनियम, 1961 में यथानिर्धारित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास प्राविहित हुआ है।

(घ) अनुदान (ए.एस–12)

विनिर्दिष्ट उद्देश्यों अर्थात् नियत परिसंपत्तियों के राजस्व और उसकी खरीद के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है।

उपयोजनार्थ संबंधित लागत के अनुरूप जरूरी अवधि के दौरान आय–व्यय खाते में क्रमबद्ध आधार पर राजस्व के लेखाकरण व्यवहार को मान्यता दी जाती है। ऐसे अनुदान को आय के मद के तहत सहायता–अनुदान के रूप में अलग से दिखाया जाता है।

मूल्यह्रास वाली नियत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए प्रयुक्त अनुदान–राषि का लेखाकरण–व्यवहार पूंजी के मद के तहत दिखाया जाता है। ऐसे अनुदान का उस अवधि में आय के मद में उस अनुपात में नियतन किया जाता है जिस अनुपात में इन परिसंत्तियों के मूल्यक्षरण को चार्ज किया जाता है।

वास्ते **संदीप रामनिवास गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

वास्ते **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी,**

–हस्त–	–हस्त–	–हस्त–
(संदीप गुप्ता) एफसीए	**(राजेन्द्र चौहान)**	**(जे.के. मोहापात्र)**
सझीदार	निदेशक (वित्त एवं प्रशा)	(महानिदेशक)
स्थान : गाजियाबाद		
दिनांक 17 अगस्त 2009		

परिशिष्ट – VII (ग)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली

अनुसूची – 13
लेखाओं के लिए टिप्पणियां :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 14.01.2002 को पंजीकृत की गई थी। एजेंसी को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व विश्व बैंक से सहायता अनुदान व सहायता प्राप्त हुई।

2. वर्ष के दौरान एजेंसी को रु. 74,999,999,700.00 का ऋण (प्रतिवर्ष 6.5: की दर से देय ब्याज़ पर) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) से एक त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त हुआ। यह अनुबंध ग्रामीण विकास मन्त्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी तथा नबार्ड के बीच ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) के अंतर्गत पी एम जी एस वाई के अधीन किए गए सड़क निर्माण कार्यों के लिए भुगतान हेतु किया गया। यह ऋण वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में वितरित किया गया था। वर्ष के दौरान वितरित किए गए अनुदान के लिए विभिन्न राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होने हैं। गत वर्ष विभिन्न राज्यों को संवितरित किया गया सहायता अनुदान एजेंसी को विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्रों के अनुसार वर्ष के दौरान उपयोग कर लिया गया है।

3. एजेंसी ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लिए गए ऋण के प्रति ग्रामीण विकास मन्त्रालय से प्राप्त अनुदान में से नबार्ड को वर्ष के दौरान रु. 4,106,207,845 का ब्याज अदा किया।

4. रु. 7,88,30,479 के कार्यालय आवास को अभी भी प्राधिकारण के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है। उप–पट्टा विलेख (लीज़ डीड) अभी भूमि विकास अधिकारी शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास लम्बित पड़ा है।

5. ऋण के रूप में दिए गए ऋणों और अग्रिमों व प्राप्त किए गए अग्रिमों को पुष्टि और समाधान के तहत रखा गया है।

6. तकनीकी विकास एवं अनुसंधान कार्य, कार्यशाला व सम्मेलन, उपस्कर, राज्य तकनीकी एजेंसियों

को तथा प्रशिक्षण के लिए क्रमशः रु. 5,921,464/–, रु. 323,440/–, रु. 418,843/–, रु. 8,80,000/– तथा रु. 95,800/– का अग्रिम भुगतान काफी समय से बकाया है तथा उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण तुलन पत्र के अंतर्गत वसूली योग्य अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

वास्ते **संदीप रामनिवास गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

वास्ते **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी,**

–हस्त–	–हस्त–	–हस्त–
(संदीप गुप्ता) एफसीए	**(राजेन्द्र चौहान)**	**(जे.के. मोहापात्र)**
सझीदार	निदेशक (वित्त एवं प्रशा)	(महानिदेशक)
स्थान : गाजियाबाद		
दिनांक 17 अगस्त 2009		

परिशिष्ट – VII (घ)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

5 वां तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली.

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

प्राप्ति	निधिवार आंकड़े				
	नबार्ड	एमओआरडी	विश्व बैंक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का अथ षेश	259,685,017.00	3,328,515.77	1,200,954.52	264,214,487.29	130,032,906.93
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त की गई निधि :				-	-
i) निम्नलिखित से प्राप्त दान/अनुदान			-	-	-
एमओआरडी नबार्ड को ब्याज	4,321,520,000.00	-	-	4,321,520,000.00	747,279,933.00
एमओआरडी व्यय के लिए	-	123,460,000.00	-	123,460,000.00	-
एमओआरडी एडीबी सहायित परियोजनओं के लिए	-	25,681,000.00	-	25,681,000.00	-
ii) नबार्ड से प्राप्त ऋण	74,999,999,700.00	-	-	74,999,999,700.00	44,999,998,000.00
iii) लेखा संख्या 2971 से 3152 को अंतरित निधि	-	1,296,723.32	-	1,296,723.32	24,000,000.00
iv) बचत बैंक/एफडीआर पर प्राप्त ब्याज	4,728,270.00	1,131,849.51	18,509.80	5,878,629.31	3,185,319.40
v) विविध प्राप्तियाँ	-	338,344.00	5,949.00	344,293.00	106,192.00
कुल (क+ख)	**79,585,932,987.00**	**155,236,432.60**	**1,225,413.32**	**79,742,394,832.92**	**45,904,602,351.33**

प्राप्ति	निधिवार आंकड़े				
	नबार्ड	एमओआरडी	विश्व बैंक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
भुगतान					
(ग) वर्ष के दौरान किए गए भुगतान					
i) पूंजीगत व्यय					
– क्रय की गई नियत परिसंपत्ति	-	714,612.00	-	714,612.00	899,552.00
ii) रजस्व खर्च अनुसूची 9 तथा 10	-	135,267,703.74	-	135,267,703.74	288,762,334.23
iii) राज्यों को अंतरित किया गया सहायतानुदान	74,999,999,700.00	-	-	74,999,999,700.00	44,999,998,000.00
iv) अदा किया गया ब्याज	4,106,207,845.00	-	-	4,106,207,845.00	597,914,916.00
v) किया गया एफ डी आर	269,405,400.00	-	-	269,405,400.00	-
vi) लेखा संख्या 2971 से 3152 को अंतरित निधि	-	-	1,296,723.32	1,296,723.32	24,000,000.00
कुल (ग)	**79,375,612,945.00**	**135,982,315.74**	**1,296,723.32**	**79,512,891,984.06**	**45,911,574,802.23**
चालू परिसंपत्तियों में कमी (अनुसूची–11)	-	(8,903,790.00)	(71,310.00)	(8,975,100.00)	(66,212,402.45)
चालू देयताओं में वृद्धि/कमी (अनुसूची–11)	(210,320,000.00)	4,222,545.00	-	(206,097,455.00)	204,974,535.74
वर्ष के अन्त में कुल शेष	**42.00**	**32,380,451.86**	-	**32,380,493.86**	**264,214,487.29**

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **संदीप रामनिवास गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

वास्ते **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी,**

–हस्त–
(संदीप गुप्ता) एफसीए
सझीदार
एम नं 075269
दिनांक 17 अगस्त 2009
स्थान : गाजियाबाद

–हस्त–
(राजेन्द्र चौहान)
निदेशक (वित्त एवं प्रशा)

–हस्त–
(जे.के. मोहापात्र)
(महानिदेशक)

परिशिष्ट – VII (च)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

5वां तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली.

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

आय	निधिवार आंकड़े				
	नबार्ड	एमओआरडी	विश्व बैंक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्राप्त अनुदानं	4,321,520,000.00	149,141,000.00	-	4,470,661,000.00	747,279,933.00
प्राप्त ब्याज	4,765,175.00	1,131,849.51	18,509.80	5,915,534.31	3,485,319.40
विविध प्राप्तियाँ	-	338,344.00	5,949.00	344,293.00	106,192.00
मूल्य ह्रास की सीमा तक रखी गई पूंजीगत निधि	-	7,439,536.00		7,439,536.00	8,465,887.00
कुल (क)	**4,326,285,175.00**	**158,050,729.51**	**24,458.80**	**4,484,360,363.31**	**759,337,331.40**
व्यय					
स्थापना व्यय	-	6,435,858.00	-	6,435,858.00	4,646,192.00
तकनीकी सहायता व्यय	-	-		-	156,680,552.08
प्रत्यक्ष प्रशासनिक व्यय	-	128,831,845.74	-	128,831,845.74	127,435,590.15
मूल्य ह्रास	7,439,536.00	-	7,439,536.00	8,465,887.00	
नबार्ड को अदा किया गया ब्याज	4,106,207,845.00	-	-	4,106,207,845.00	597,914,916.00
कुल (ख)	**4,106,207,845.00**	**142,707,239.74**	-	**4,248,915,084.74**	**895,143,137.23**

आय	निधिवार आंकड़े				
	नबार्ड	एमओआरडी	विश्व बैंक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय से आय जितना अधिक हुआ वह शेष					
(क+ख)	220,077,330.00	15,343,489.77	24,458.80	235,445,278.57	(135,805,805.83)
पूंजीगत निधि को अंतरण	-	714,612.00	-	714,612.00	899,552.00
सामान्य निधि को अंतरण	**220,077,330.00**	**14,628,877.77**	**24,458.80**	**234,730,666.57**	**(136,705,357.83)**

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **संदीप रामनिवास गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

वास्ते **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी,**

–हस्त–
(संदीप गुप्ता) एफसीए
सझीदार
एम नं 075269
दिनांक 17 अगस्त 2009
स्थान : गाजियाबाद

–हस्त–
(राजेन्द्र चौहान)
निदेशक (वित्त एवं प्रशा)

–हस्त–
(जे.के. मोहापात्र)
(महानिदेशक)